संख्या:-142/2025/आई1015988/001-368आ0-23-5002-002-54-2024
(कम्प्यूटर सं0-1831344)

प्रेषक,

रवि शंकर मिश्र,
संयुक्त सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियन्ता(परि0/नियो0),
लो0नि0वि0, लखनऊ उ0प्र0।

लोक निर्माण अनुभाग:-5 **लखनऊ: दिनांक 07 जुलाई, 2025**

विषय: चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 में अनुदान सं0-55 के पूंजीलेखा में **लेखाशीर्षक 4059-80-051-20-00-24 "राजभवन लखनऊ परिसर में विभिन्न निर्माण कार्य(चालू कार्य)"** मद के अन्तर्गत राजभवन, लखनऊ के 09 कार्यों हेतु अवशेष धनराशि की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र सं0-14812/CE-BLD/RAJBHAVAN/LKO/2025-26, दिनांक 21.06.2025 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करें।

इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 में अनुदान सं0-55 के पूंजीलेखा मद के अन्तर्गत राजभवन, लखनऊ के 09 कार्यों हेतु स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष अवशेष देयता में से **रू0 580.00 लाख(रू0 पाँच करोड़ अस्सी लाख मात्र)** की वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने की श्री राज्यपाल निम्नवत तालिका व शर्त के साथ सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

क्र0 सं0	शासनादेश संख्या व दिनांक	कार्य का नाम	योजनावार स्वीकृत धनराशि	अनुबन्ध आधारित बचत की धनराशि	बचत के उपरान्त कार्य की लागत	अब तक आवंटित धनराशि	वित्तीय वर्ष 2024-25 में समर्पित की गयी धनराशि	समर्पण के समायोजन के उपरान्त अद्यतन अवशेष (6-7+8)	क्षेत्र से मांग	मुख्यालय द्वारा संस्तुत धनराशि	निर्गत की जाने वाली धनराशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	93/2024/आई747 309/001-406आ0-23-5002-099-02-2024, दिनांक 19.09.2024	राजभवन स्थित मुख्य भवन के प्रथम तल के अवशेष छतों एवं राजभवन परिसर के विभिन्न छतों पर केजी टाइल्स(चाइना मोजेक) की फर्श का कार्य।	44.00	00.25	43.75	11.00	0.00	32.75	28.00	28.00	28.00
2	तदैव	राजभवन परिसर में प्राथमिक विद्यालय की पुरानी जर्जर कक्षाओं को स्मार्ट कक्षाएं बनाने का कार्य।	388.04	01.00	387.04	97.00	07.93	297.97	239.18	239.18	239.18
3	99/2024/आई758 841/001-437आ0-23-5002-099-02-2024, दिनांक 01.10.2024	Providing and fixing of UPVC window Louvers at main Building of Rajbhawan Lucknow.	14.33	00.10	13.23	03.50	0.00	10.73	09.83	09.83	09.83
4	तदैव	राजभवन में मुख्य भवन के प्रथम तल पर स्थित पुराने किचन के जीर्णोद्धार कार्य के अन्तर्गत पुनर्विद्युतीकरण एवं कामर्शियल टाइप किचन सम्बन्धी विद्युत उपकरणों की आपूर्ति एवं स्थापना का कार्य (सिविल कार्य)।	67.34	00.50	66.84	16.80	0.00	50.04	43.96	43.96	43.96
5	27/2025/आई866 845/001-26आ0-23-5002-099-02-2025, दिनांक 30.01.2025	राजभवन स्थित मुख्य भवन की बाहरी सतह एवं बाउण्ड्रीवाल की रंगाई-पुताई एवं अन्य विविध सिविल कार्य।	37.28	00.50	36.78	09.32	07.32	34.78	24.70	24.70	24.70

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

6	तदैव	राजभवन स्थित कोयला गोदाम के स्थान पर खुला गैराज बनाने का कार्य।	22.14	00.10	22.04	05.53	0.00	16.51	12.09	12.09	12.09
7	93/2024/आई747 309/001-406आ0-23-5002-099-02-2024, दिनांक 19.09.2024	राजभवन लखनऊ परिसर में अग्निशमन प्रणाली के उच्चीकरण का कार्य।	184.57	63.79	120.78	46.00	0.00	74.78	68.00	22.24	22.24
8	तदैव	राजभवन परिसर स्थित विभिन्न भवनों की छतों पर रूफटॉप सोलर पैनल की स्थापना का कार्य।	254.30	27.36	226.94	63.00	48.74	212.68	200.00	100.00	100.00
9	99/2024/आई758 841/001-437आ0-23-5002-099-02-2024, दिनांक 01.10.2024	राजभवन स्थित गांधी सभागार में आधुनिक तकनीक पर आधारित चिलर टाइप वातानुकूलन प्रणाली की स्थापना का कार्य।	386.46	26.22	360.24	96.50	0.00	263.74	240.00	100.00	100.00
योग :-								**993.98**	**865.76**	**580.00**	**580.00**

नियम व शर्तें/प्रतिबन्धों -

(1) उक्त स्वीकृत की जा रही धनराशि विश्वकर्मा पोर्टल के माध्यम से मुख्यालय, लो0नि0वि0 द्वारा जनरेट की गयी मांग/सूचना के आधार स्वीकृत की जा रही है। यदि उपलब्ध कराये गये प्रस्तावों/मांग में कोई विसंगति भविष्य में प्रकाश में आती है अथवा यह पाया जाता है कि प्रस्ताव में कोई गलत सूचना देकर या तथ्य छिपाकर अधिक धनराशि शासन से अवमुक्त करा ली जाती है अथवा व्यपगत धनराशि को चालू कार्य के रूप में स्वीकृत करा लिया जाता है तो सम्बन्धित अभियन्ता के विरूद्ध कठोर कार्यवाही के साथ ही नियमानुसार धनराशि की वसूली भी सुनिश्चित की जायेगी।

(2) प्रश्नगत चालू कार्य हेतु आवंटित धनराशि का व्यय/उपयोग वित्त विभाग द्वारा निर्गत आदेशों/ज्ञापों में उल्लिखित शर्तों के अनुसार बजट मैनुअल एवं वित्तीय हस्त पुस्तिका के नियमों, स्थायी आदेशों आदि का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा तथा किसी भी दशा में प्रश्नगत कार्य हेतु आवंटित धनराशि का उपयोग किसी अन्य मद में नहीं किया जायेगा।

(3) प्रश्नगत कार्य हेतु आवंटित धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र/कार्यों के सपंरिक्षित लेखा निर्धारित समयावधि में कार्यालय महालेखाकार, उ0प्र0 प्रयागराज एवं शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।

(4) उपरोक्त परियोजना के सम्बन्ध में प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति विषयक मूल शासनादेश की शेष शर्तें एवं प्रतिबन्ध यथावत लागू रहेंगे।

(5) समस्त धनराशि का आहरण-वितरण सम्बन्धी कार्य, आहरण-वितरण अधिकारी द्वारा वित्तीय हस्तपुस्तिका भाग-6 में निहित प्राविधानों एवं सम्बन्धित वित्तीय नियमों/शासनादेशों व डी0डी0ओ0 कोड आवंटन विषयक वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-1 के शासनादेश सं0-10/2022/बी-1-345/दस-2022, दिनांक 04.05.2022 में निहित व्यवस्था के अधीन किया जायेगा।

(6) अवमुक्त की जा रही धनराशि के व्यय से पूर्व उपर्युक्त परियोजनाओं के सम्बन्ध में प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति विषयक मूल शासनादेशों एवं यथा पुनरीक्षित शासनादेशों की शर्तों तथा उक्त के सम्बन्ध में वित्त विभाग के समस्त सुसंगत शासनादेशों की शर्तों का अक्षरश: अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

..../03..

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

(7) विद्युत/यॉत्रिक कार्यों हेतु निर्गत की जाने वाली धनराशि को मुख्यालय, लो0नि0वि0 द्वारा सम्बन्धित विद्युत/यॉत्रिक खण्ड को ही आवंटित किया जाना सुनिश्चित किया जाय।

2- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय रू0 5,80,00,000(रूपये पॉच करोड़ अस्सी लाख मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-055 लेखाशीर्षक 4059800512000 राजभवन लखनऊ परिसर में विभिन्न निर्माण कार्य मानक मद 24 वृहत् निर्माण कार्य(भारित) के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप सं0-6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025, दिनांक 27.03.2025 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधनित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,
रवि शंकर मिश्र
संयुक्त सचिव।

संख्या:-142/2025/आई1015988/001-368आ0(1)/23-5-2025, तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार(लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 प्रयागराज।
2- महालेखाकार(लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 प्रयागराज।
3- अपर मुख्य सचिव, श्री राज्यपाल सचिवालय, उ0प्र0।
4- नोडल अधिकारी, बजट, लो0नि0वि0, उ0प्र0 शासन।
5- निदेशक, कोषागार, उ0प्र0 लखनऊ।
6- वित्त नियंत्रक, कार्यालय प्रमुख अभियन्ता, लो0नि0वि0, उ0प्र0 लखनऊ।
7- मुख्य अभियन्ता(भवन), लो0नि0वि0, लखनऊ।
8- अधीक्षण अभियन्ता, 39वां वृत्त/17वां वृत्त, लो0नि0वि0, लखनऊ।
9- अधिशासी अभियन्ता, अनुरक्षण खण्ड-1(सि0), लो0नि0वि0, लखनऊ।
10- वित्त(व्यय नियंत्रण) अनुभाग-8/लो0नि0अनु0-10/श्रम अनु0-2/गार्ड बुक।

आज्ञा से,
जूली दुबे
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।